

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1958 के नियम 138 के अन्तर्गत)

ग्रामीण राजस्व सहायता विधिवि-2021

**राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र**

क्र. सं.	खाला सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	वि०दि०
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.
1	49	119 120 434/121	0.0885 0.1012 0.0506	1. अलिया देवी पत्नी लक्ष्मणलाल हि. 118 नाति-मैदवाल सा. डैला रविन पुर्ण हिस्सा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा देलदर 2. अमृती कुत्री श्रीभारत हि. 1/4 नाति-मैदवाल सा. डैला रविन पुर्ण हि. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा देलदर 3. देवांशी कुत्री लक्ष्मणलाल हि. 1/8 नाति-मैदवाल सा. डैला रविन पुर्ण खाता राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा देलदर 4. अमृती कुत्री पत्नी श्रीभारत हि. 1/4 नाति-मैदवाल सा. डैला रविन पुर्ण हिस्सा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा देलदर	1. अलिया देवी पत्नी लक्ष्मणलाल हि. 118 नाति-मैदवाल सा. डैला रविन पुर्ण हिस्सा 1/8 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा देलदर 2. अमृती कुत्री श्रीभारत हि. 1/4 नाति-मैदवाल सा. डैला रविन पुर्ण हि. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा देलदर 3. देवांशी कुत्री लक्ष्मणलाल हि. 1/8 नाति-मैदवाल सा. डैला रविन पुर्ण हि. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा देलदर	
<p>मुताबिक भिसल/जमाकुसी संघत के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया खाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 138 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1958 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर के सम्मुख श्रद्धा याचया है।</p> <p>21/09/21</p> <p>पटवारी (भू. अ.) 010 तहसील-आबरोड तहसील-आबरोड</p>				<p>साहिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।</p> <p>पटवारी पं० अ० नि०</p>		
<p>दिनांक 24/12/15</p> <p>ह० भू० अ० नि० आबरोड</p>				<p>पं० अ० नि० पं० अ० नि०</p> <p>पं० अ० नि० पं० अ० नि०</p> <p>पं० अ० नि० पं० अ० नि०</p>		

राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट व साहिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण पत्रोबस्त साक्षियों के दौरान/पुर्ण का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर को सादर प्रेषित है।

ह० उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड कार्यालय आबरोड

21/11/17